


नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़।


दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ में फोटो स्टेट शॉप की नीलामी दिनांक 12.04.2022 को समय अपरान्ह 04.30 बजे दीवानी न्यायालय प्रांगण में अध्यक्ष नीलामी समिति के समक्ष होगी। इसका प्रचार-प्रसार नियमानुसार कराया जाय। इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में बोली बोलना चाहते हों वह निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध


1. उक्त फोटो स्टेट शॉप की नीलामी दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए होगा, जिसमें न्यूनतम बोली मु० 1,70,000/-- से प्रारम्भ होगी।
2. नीलामी में वही लोग भाग ले सकते हैं, जो नीलाम होने के पूर्व नजारत में फोटो स्टेट शॉप के लिए पांच-पांच हजार रूपया जमानत के रूप में जमा करेंगे।
3. जिस व्यक्ति के नाम नीलामी समाप्ति होगी यदि वह नीलामी नहीं लेता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. बोली समाप्त होने पर सर्वाधिक बोली की 1/3 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। शेष धनराशि एक माह के भीतर देय होगी। जमा की गयी जमानत धनराशि अंतिम धनराशि में समायोजित हो जायेगी।
5. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को यह प्रतिबन्ध होगा कि वह फोटो स्टेट शॉप को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
6. फोटो स्टेट शॉप में फोटो स्टेट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा।
7. नीलामी लेने को उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार एक एग्रीमेण्ट बॉण्ड दुकान चलाने के पूर्व उसको नजारत में जमा करना होगा।
8. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ उचित बोली न होने पर नीलाम की तिथि बढ़ा सकते हैं।
9. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ नीलामी को बिना कारण बताये हुये रद्द कर सकते हैं या कोई अन्य आदेश पारित कर सकते हैं।
10. नीलाम अवधि की समाप्ति पर दूकानदार को शेड इत्यादि तत्काल हटाना होगा।
11. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को अपने यहां किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को बैठाना व रखना कार्यालय समय के उपरान्त वर्जित होगा।


06/04/22

सदस्य
पंकज कुमार श्रीवास्तव
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश पॉक्सो
प्रतापगढ़।


06/04/22

सदस्य
कुंदन किशोर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं० 05, प्रतापगढ़।


06/04/22

अध्यक्ष नीलामी कमेटी
आलोक द्विवेदी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं० 02 प्रतापगढ़।